Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
(A National Multidisciplinary bi-lingual Quarterly Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 02, April-June, 2026, pp. 176-181

मध्यपद्रेश के स्थानीय निकायों में महिलाओं की वर्तमान स्थिती पर लेख

गौरव नलवाया*

Research Scholar, Department of Humanities and Social Sciences, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur, Rajasthan, India.

*Corresponding Author: nalwayagaurav77@gmail.com

Citation: *नलवाया, गौरव (2026). मध्यपद्रेश के स्थानीय निकायों में महिलाओं की वर्तमान स्थिती पर लेख. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(02), 176–181. https://doi.org/10.62823/JMME/16.02.9139*

सार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में स्थानीय स्वशासन श्यदि भारत को अपना विकास करना है तो उसे बहुत सी चीजों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, केन्द्रीयकरण को कायम रखने के लिए हिंसा बल अनिवार्य है, जो में नही चाहता।श महिला सशक्तिकरण भारत के पुर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु के शब्दों में स्थानीय स्वशासन 'You Can Tell The Condition Of Nation By Looking At The Status Its Women'. भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि शासन में सबकी भागीदारी बराबर हो। बराबरी के लिए आवश्यक है देश की आधी जनसंख्या जो महिला है उनका शिक्षित होना एवं प्रत्येक कार्य में आत्मनिर्भर होकर सहभागीता करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 3 दशको में भारतीय स्थानीय स्वशासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। इसे 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पंचायत व स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के क्रियान्यवन द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। इस लेख का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं आरक्षण के प्रभाव का पता लगाना, उपलब्धियों का पहचानना, निर्वाचित महिला प्रतिनिधीयों के सामने आने वाली चुनोतियों को उजागर करना व अधिक समावेशी बनाने तथा प्रभावी राजनैतिक परिदृश्य के लिए उपायों को उल्लेखित करना है।

शब्दकोश: *भारतीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, निर्वाचित महिला प्रतिनिधीयों के सामने आने वाली चुनौतियाँ।*

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश के गठन के 70 वर्ष पश्चात् भी तमाम दावों के विपरित महिला सशक्तिकरण एवं महिला विकास अभी दूर की कौड़ी है। 70 वर्ष पश्चात भी प्रदेश में नेतृत्व केवल एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमाभारती द्वारा ही किया गया है। वर्तमान परिदृश्य में विधानसभा कार्यकाल (2023–28) में भी 230 विधायकों में से मात्र 27 महिला विधायक है।(1)

उक्त स्थिती में सुधार हेतु हाल ही में ''केन्द्र सरकार द्वारा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति बंधन अधिनियम) पारित किया गया। जिसके अन्तर्गत महिलाओं को लोकसभा

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

व विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देनें का प्रावधान है। जिसका वास्तविक रुप से पालन महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो सकता है।[2]

मध्यप्रदेश में स्थानीय स्वशासन

मध्य प्रदेश का गठन 01 नवम्बर 1956 को सेन्ट्रल प्रोविंस, बरार मध्यभारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल को मिलाकर किया गया। स्थानीय शासन व्यवस्था को एकरुपता प्रदाय करनें के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और नगरपालिका अधिनियम 1961 बनाया गया। 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय त्रि–स्तरीय ढांचा कार्यरत है, जिसमें 16 नगर निगम (बड़े शहर), 99 नगरपालिका परिषदें (मध्यम शहर), और 298 नगर परिषदें (छोटे कस्बे) शामिल हैं। [3]

मध्य प्रदेश में नगरीय व्यवस्था निम्नानुसार है :–

- **त्रि–स्तरीय संरचना**
  - **नगर निगम (Municipal Corporation):** 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों के लिए (जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) कुल संख्या– 16
  - **नगरपालिका परिषद (Municipal Council):** 20,000 से 1 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरों के लिए कुल संख्या – 99
  - **नगर परिषद/पंचायत (Nagar Parishad/Panchayat):** 5,000 से 20,000 के बीच की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों के लिए कुल संख्या – 298
  - **चुनाव और संरचनाः** महापौर और पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नगर निगमों में महापौर–इन–कौंसिल (MIC) प्रणाली लागू है एवं नगरपालिका, नगर पारिशद में प्रेसीडेंट –इन–कौंसिल प्रणाली लागु है एवं परिशद निर्णय लेने वाली मुख्य संस्था है।
  - **प्रशासनिक प्रमुखः** नगर निगम में आयुक्त और नगरपालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक ईकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को एक संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया जाए। ऐसा संशोधन शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के बीच कार्यों, संसाधनों के साथ–साथ चुनावों के नियमित संचालन के संबंध में और कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने एवं उनके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए था। 01 जून 1993 को लागू संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992, ने देश में शहरी स्थानीय निकायों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 W ने राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने और शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत किया। संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले 18 विशिष्ट कार्य शामिल हैं।

74 वें संविधान अधिनियम की पृष्टभुमि

केन्द्र में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1989 में 64 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसमें नगरीय निकायों को शक्तिशाली बनाने का प्रावधान किया गया था। यह विधेयक लोकसभा नें तो पारित कर

दिया किन्तु अपरिहाय कारणों से 1989 में राज्य सभा ने इसे खारिज कर दिया। सितम्बर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा 64वें संविधान विधेयक को संशोधित रूप में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया किन्तु लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। 1992 में नरसिंम्हा राव सरकार ने नये रूप में नगर पालिकाओं से सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। कुछ परिवर्तन के अतिरिक्त यह 64वें संशोधन विधेयक के समान ही था। जिसे संसद के दोनों सदनों ने दिसम्बर 1992 में पारित कर दिया जिसे राष्ट्रपति ने 20 अप्रेल 1993 को अपनी स्वीकृति दी तथा भारत सरकार द्वारा 1 जून 1993 को अधिसुचना द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 (क) जोड़ा गया।

- **कार्य और शक्तियां:** संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, अग्नि शमन, स्वच्छता, और बुनियादी ढांचे का विकास इनके कार्यों में शामिल हैं –
  - नगर नियोजन शहर की योजना बनाना, जिसमें शहरी विकास शामिल है।
  - भूमि उपयोग का विनियमन भूमि के उपयोग और भवनों के निर्माण का नियमन करना।
  - आर्थिक और सामाजिक विकास समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं बनाना।
  - सड़कें और पुल सड़कों, पुलों और फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव।
  - जल प्रदाय घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति।
  - लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कूड़ा–कचरा प्रबंधन और स्वच्छता का ध्यान रखना।
  - अग्निशमन सेवाएँ आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों का प्रबंधन।
  - नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण, वानिकी और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना।
  - कमजोर वर्गों का हित समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के हितों की रक्षा।
  - गंदी बस्ती सुधार स्लम (झुग्गी–झोपड़ियों) का उन्नयन और सुधार।
  - नगरीय निर्धनता उन्मूलन शहरी क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के कार्यक्रम चलाना।
  - शहरी सुख–सुविधाए पार्कों, उद्यानों और खेल के मैदानों की व्यवस्था और रखरखाव।
  - सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकासरू सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्यपरक पहलुओं को बढ़ावा देना।
  - शमशान और कब्रिस्तान शवों को दफनाने, श्मशान घाटों और विद्युत शवदाह गृहों का प्रबंधन।
  - पशु प्रबंधन कांजी हाउस बनाना और पशुओं के प्रति क्रूरता रोकना।
  - जन्म–मरण सांख्यिकी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना।
  - सार्वजनिक सुविधाए स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था।
  - वध शालाओं का नियमन बूचड़खानों और चर्मशोधन शालाओं (TANNERIES) का नियमन।[4]

मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय निर्वाचन

'मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय निर्वाचन श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न चरणों में 6 जुलाई 2022 से 20 जनवरी 2023 तक सम्पन्न किये गये। जिनमें कुल मतदान प्रतिशत 65.02 रहा तथा निर्वाचित महिला प्रतिनीधीयों में 9 महिला महापौर एवं 4351 महिला पाशर्द निर्वाचित हुए।' [5]

महिला राजनीतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति

30 वर्ष पहले प्रस्तुत किए गए संवैधानिक संशोधन से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया जिसके परिणाम स्वरुप 1.4 मिलियन से अधिक महिला स्थानीय निकायों में नेतृत्वकारी पदों पर पहुंच पाई है। भारत स्थानीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान जैसे प्रमुख देशों को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। वर्तमान में पूरे भारत में स्थानीय निकायों में लगभग 44 प्रतिशत सीट महिलाओं के पास है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव से प्रोत्साहित होकर कई राज्यों ने महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण का विस्तार किया है वर्तमान में 20 राज्यों ने पंचायती राज्य एवं स्थानीय नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण एक तिहाई से बढ़कर 50 प्रतिशत कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरीय निकायों) में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण 'म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम 2007' के तहत प्रदान किया है।[6] जिस कारण से महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा है, इसके अलावा हाल ही में म.प्र. सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरीयों में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया हैं।[7] जो भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सरकार का सार्थक प्रयास है।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुल 413 नगरीय निकाय है। जिनमें महिला प्रतिनिधित्व की स्थिती निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	पद	कुल संख्या	महिला प्रतिनिधित्व
1	लोकसभा सांसद	29	6
2	विधायक	230	27
3	मेयर (महापौर)	16	9
4	नगरपालिका अध्यक्ष	98	नगर पालिका एवं नगर पारिशद में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने से पृथक से महिला अध्यक्ष के रुप में निर्वाचन नही हुआ है।
5	नगरपरिषद अध्यक्ष	299	
6	पार्शद	7321	4351

मध्यप्रदेश में महिलाओं का स्थिति

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है जिसमें 3,76,11,370 (51.8%) पुरुश एवं 3,49,84,645 (48. 2%) महिलाऐं है।[8] प्रदेश में महिलाओ के विकास के विभिन्न संकेतो में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री—पुरुष अनुपात 1000 पर 940 है जो मध्यप्रदेश में 931 है। (ग्रामीण जनसंख्या में 936 तथा शहरी जनसंख्या में 918)। मध्यप्रदेश में कुल लिंगानुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2001 में लिंगानुपात 919 था जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 930 हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 0—4 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात वर्ष 2010—11 में 911 था जो वर्ष 2012—13 में 916 हो गया है। प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर 20.3 प्रतिशत है, जो पुरुषों में 19.6 प्रतिशत तथा महिलाओ में पुरुषो से अधिक 21 प्रतिशत है।

देश की महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में 53.7 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 65.5 प्रतिशत हो गई (ग्रामीण क्षेत्र म 58.8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 79.9 प्रतिशत) है। मध्यप्रदेश में महिला साक्षरता वर्ष 2001 में 50.30 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गई है (ग्रामीण क्षेत्र में 52.4 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 76.50 प्रतिशत)। वर्ष 2001 में महिला एवं पुरुष की साक्षरता दर में अंतर 25.80 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 में घटकर 20.00 प्रतिशत हो गया है।[9]

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं अभियान, जननी सुरक्षा योजना लागु किया जाना महिला सशक्तिकरण हेतु ऐतिहासिक प्रयास है एवं महिला नीति 2008 महिला नीति 2015 लागु की जाकर महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिती ीाी मजबुत की गई है।

जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाना

स्थानीय निकाय स्तर की राजनीति महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई है इससे निर्णय निर्माण संरचना में उनकी भागीदारी बढ़ी है जिससे उनके आत्मविश्वास व क्षमता में वृद्धि हुई है अध्ययनों से पता चलता है कि निकाय स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में कमी और स्वास्थ्य शिक्षा और पेयजल सुविधाओं में सुधार सहित विकासात्मक पहलों में कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन कर रही है।

इसके अलावा स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति ने नीतियों को प्रभावित किया है जिससे वे महिलाएं की जरूरत और चितांओं के साथ अधिक निकटता से जुड़ गई है, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने लिंग संबंधी मुद्दों का समाधान करने घरेलू हिंसा और बाल विवाह के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसी प्रकार गैर पारंपरिक स्थानों में उनका प्रवेश स्थानीय व ग्रामीण भारत में प्रचलित लैंगिक मानदंडों को चुनौती देता है जो अन्य महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा और रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत आरक्षित सीटों से अधिक अतिरिक्त सीटों में चुनाव जीतना महिलाओं की सशक्त स्थिति को प्रदर्शित करता है।

मध्य प्रदेश में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियां

इन सकारात्मक परिवर्तन के बावजूद महिला प्रतिनिधियों को अपने पुरुष समकक्षों से अलग संस्थागत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है चक्रीय आरक्षण की नीति महिलाओं के राजनीतिक कैरियर की निरंतरता में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है यह बाधा महिला उम्मीदवारों को अपने अनुभवों का लाभ उठाने से रोकती है, जिससे अक्सर उन्हें निकाय के एक कार्यकाल के बाद घरेलू भूमिका में वापस लौटना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लैंगिक विभाजन विशेष रूप से ग्रामीण भारत में प्रचलित महिलाओं प्रतिनिधि के लिए चुनौती है। जैसे–जैसे स्थानीय सरकारें सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डिजिटलीकरण करने को अपना रही हैं वैसे–वैसे महिलाओं के लिए सीमित डिजिटल साक्षरता प्रशासन कार्यों में बाधा के रूप में सामने आ रही है।

वित्तीय बाधाऐं

महिलाओं की चुनाव में भागीदारी में वित्तिय स्थिती भी बाधा डालती है क्योंकि वह अक्सर अपने पुरुश समकक्षों की तुलना में निम्न आर्थिक समूह से होती है।

भावी रणनीति

- स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- नीतिगत परिवर्तन जैसे कि दो बच्चों के मानदंड न्यूनतम साक्षरता योग्यता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- प्रतियोगी और प्रतिनिधि दोनों के रूप में महिला नेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- महिला–पुरुष समानता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- महिला संगठनों को वैधानिक मान्यता व प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

- महिलाओं को कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए।
- महिला,शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दों से जोड़ते हुए योजनाएं तैयार करना चाहिए।
- रोजगार व कुशलता के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए।
- शहर के विकास हेतु लिए गए निर्णय में अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- स्थानीय सरकारों के कार्यों का समय पर मुल्याकन किया जाना चाहिये।
- नगरीय निकायो का निर्वाचन नियम समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर होना चाहिये।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश राज्य में पिछले दो दशकों में पंचायत एवं निकायों में आरक्षण की यात्रा परिवर्तनकारी रही है। स्थानीय शासन की गतिशीलता को नया आकार दिया गया है। सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हुए महिला प्रतिनिधियों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना और सशक्तिकरण के लिए उपाय को लागू करना महत्वपूर्ण है, स्थानीय सरकार की उपलब्धियां और विफलताओं से सबक लेते हुए महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को मजबूत करने व सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में भविष्य के प्रयासों का मार्गदर्शन किया जा सकता है।

अंततः स्थानीय शासन में महिलाओं को सशक्त बनाना केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है, बल्कि समावेशी और प्रभावी लोकतंत्र का मार्ग है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://prsindia.org/legislatures/state/vital-stats/profile-of-the-16th-madhya-radesh-legislativeassembly
2. https://www.drishtijudiciary.com/hin/current-affairs/Nari% 20Shakti% 20Vandan% 20A dhiniyam
3. https://www.mpurban.gov.in/Uploaded%20Document/ULBs%20List/DIVISION_WISE_ULB_%20_.pd f
4. https://hindi.webdunia.com/samayik/samvidhan/schedule_12.htm
5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकाय 2022 चुनाव परिणाम
6. https://panchayat.gov.in
7. https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=20241105N119&fontname=Mangal&pubdate =11/05/2024&LocID=32
8. Census India 2011
9. महिला नीति 2015.

❑❑❑